

(5)

(6)

GAD Form

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का परिवर्तन, वर्ष 20

अधिकारी/अभ्यर्थी का (पूर्व) नाम तथा उस सेवा का नाम

जानी कोल, काडीहर

भाडीहर

47000

पद की वर्गीकरण की तारीख 01/01/19

उस दिनांक तक संभाला हुआ सेवा का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित थी	तारीख का क्षेत्र तथा स्तर		***वर्तमान स्तर	यदि स्तरों के नाम पर वही ही संश्लेषण कि वह किसी नाम या शब्दों हैं और उसका संश्लेषण वर्गीकरणों में क्या संश्लेषण है	उस दिनांक प्रकार अधिक किया गया **एच.ए.सी. ग्रेड, बैंक, विद्युत, पी.ए. नाम किताब प्रकार में क्या स्तरों की तुलना और विवरण अधिकारी को गई इस प्रकार नाम संश्लेषण	संपत्ति के वर्गीकरण स्तर	श्रेणी
	आरंभ	समाप्त					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निल							

* जहां नाम व ही बात दीजिए।
 ** सेवा सम्पत्ति में जहां प्रारंभ का शब्द-शब्द परिवर्तन करना संभव है वह जहां वर्गीकरण संश्लेषण के तालिका में संश्लेषण शुरू करवाया गया।
 *** फार्म में अनुपस्थित होने पर ध्यान दें।
 टिप्पणी: पर्यवेक्षण आयोग (अभ्यर्थी) नियम, 1954 के नियम 10(2) के अंतर्गत प्रथम श्रेणी, विद्युत सेवा तथा सुदूर सेवा सेवा के परिवर्तन/समाप्ति से भी सम्पत्ति है कि वह सेवा में प्रारंभ नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार अधिकारी को जहां से वह सेवा का मासिक-पत्र भा. का प्रस्ताव करें और उसमें वह वर्तमान वर्गीकरण को देना चाहिए। अंतर्गत अथवा उसे नियुक्ति में प्रवेश या उसके समय सेवा पर या उसके पश्चात् के किसी प्रकार के नाम से या किसी अन्य अधिकार के नाम पर बदले या परिवर्तन या उसके द्वारा शक्ति संश्लेषण/समाप्ति सम्पत्ति के अंतर्गत है।

हस्ताक्षर
 नाम जानी कोल
 पद काडीहर